सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 318
12/03/2010

मुख्यमंत्री ने पेयजल और स्वच्छता नीति पर आयोजित कार्यशाला का किया उद्घाटन : समेकित जल प्रबंधन नीति सरल और सुबोध होगी :– मुख्यमंत्री

पटना, 12 मार्च 2010 :– बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज बिहार विधानसभा के उप भवन में पेयजल तथा स्वच्छता नीति के प्रारूप पर आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुये कहा कि आज विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त विचारों एवं सुझावो को शामिल करते हुये समेकित जल प्रबंधन की नीति के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जायेगा, जिस पर समुचित विचार एवं औपचारिक प्रक्रियाओं के बाद राज्य सरकार निर्णय लेगी और यह सरल तथा सुबोध होगी ताकि सर्वसाधारण को उसका सहज लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने घर–घर में शौचालयों तथा हर व्यक्ति के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की अनिवार्यता को रेखांकित करते हुये कहा कि खुले में शौच करने तथा अस्वच्छ जल पीने से लोग तरह–तरह की करीब 90 प्रतिशत बीमारियों के शिकार होते हैं। यदि घर–घर में शौचालयों का निर्माण करा दिया तथा सबके लिए स्वच्छ पेयजल का इन्तजाम कर दिया जाय तो 90 प्रतिशत बीमारियॉ नहीं होगी और इनके इलाज में खर्च होने वाली राशि का सदुपयोग अन्य दूसरे कार्यों में किया जा सकेगा। इस क्रम में उन्होंने प्रसिद्ध समाजवादी नेता डॉ0 राममनोहर लोहिया की चर्चा करते हुये कहा कि घर–घर में शौचालयों के अभाव में होने वाली महिलाओं की असाधारण परेशानी तथा शुद्ध पेयजल के मुद्दे को उन्होंने अत्यंत मजबूती से उठाया था और राज्य सरकार द्वारा उनके नाम पर लोहिया स्वच्छता योजना शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए शौचालयों के निर्माण पर आने वाली 2500/– रूपये की राशि के विरूद्ध केन्द्र सरकार द्वारा 1500/– रूपये तथा राज्य सरकार द्वारा 700/– रूपये के अनुदान राशि का प्रावधान किया है और इसमें लाभार्थी के श्रम के रूप में 300/– रूपये का अंशदान माना जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि घर–घर में शौचालयों की अनिवार्यता को देखते हुये कराये गये एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि बिहार में गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को मिलाकर प्रदेश में करीब 56 लाख परिवार ऐसे परिवार हैं, जिनके घरों में शौचालय नहीं है। बिहार देश का पहला राज्य है, जहॉ गरीबी रेखा से ऊपर के भी परिवारों को राज्य सरकार द्वारा शौचालय के निर्माण हेतु 2000/– रूपये की आर्थिक सहायता दिलाये जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने स्वच्छता के महत्व को रेखांकित करते हुये इसके लिए व्यापक जनचेतना अभियान के साथ–साथ विद्यालयों में प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किये जाने का सुझाव दिया। इस क्रम में उन्होंने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा पूरे प्रदेश में की गई ग्राम गौरव यात्रा की भी सराहना की। उन्होंने 2015 तक बिहार को विकसित राज्य बनाये

जाने के साथ–साथ प्रदेश को निर्मल प्रदेश बनाये जाने हेतु संकल्पबद्ध होकर योगदान करने का आह्वान किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के कई इलाकों में पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड तथा आयरन की अधिकता पाई गई है, जिसके कारण कई तरह की बीमारियों के लोग शिकार होते हैं। इन इलाकों में विशेष व्यवस्था के तहत भी शुद्ध पेयजल के लिए सरकार प्रयत्नशील है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिये समेकित जल प्रबंधन की दिशा में शुद्ध पेयजल तथा स्वच्छता नीति अत्यंत आवश्यक है क्योंकि एक तरफ भूगर्भ जल का बेहिसाब दोहन हो रहा है तो दूसरी तरफ सिंचाई तथा अन्य कार्यों के लिए भी सतही जल के इस्तेमाल में सजगता नहीं बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि आज की कार्यशाला में विशेषज्ञों की राय तथा सुझाव से प्रदेश के लिए पेयजल तथा स्वच्छता नीति के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जायेगा। इस प्रारूप पर समुचित विचार–विमर्श और औपचारिकताओं के बाद सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जायेगा और क्रियान्वयन प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि हमारी जरूरतों और पानी की उपलब्धता के सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर स्वच्छता नीति में उन्हें शामिल किया जायेगा तथा यह नीति कानूनी भाषा में न होकर, अत्यंत सरल भाषा में तथा सुबोध होगी ताकि सर्वसाधारण को इसका समुचित लाभ मिल सके।

समारोह के प्रारंभ में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मुख्य अभियंता श्री ए0के0 श्रीवास्तव ने स्वागत भाषण किया। मुख्यमंत्री सहित अन्य विशिष्ट महानुभावों द्वारा मंगल दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन तथा जिलावार स्टेट्स रिपोर्ट की पुस्तिका का लोकार्पण भी किया।

इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुये उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने पानी की रिसाइक्लिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाये जाने का सुझाव देते हुये कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री आहर–पईन योजना के अन्तर्गत 55 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के लिए एक महत्वाकांक्षी तथा अत्यंत उपयोगी योजना प्रारंभ की जा रही है और इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 65 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान भी किया जा रहा है।

समारोह को बिहार विधानसभा अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी, बिहार विधान परिषद के सभापति डॉ0 ताराकान्त झा ने भी संबोधित किया। समारोह की अध्यक्षता करते हुये लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने अपने संबोधन में कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में भी बिहार ने केन्द्र द्वारा उठाये गये कदमों से आगे बढ़कर सार्थक पहल की है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस क्षेत्र में भी बिहार देश में अग्रणी रहेगा। धन्यवाद ज्ञापन वाटर एड संस्था के रिजिनल हेड श्री आनंद शेखर द्वारा किया गया। समारोह में राज्य सरकार के कई मंत्री, बिहार विधानसभा तथा विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, यूनिसेफ तथा वाटर एड के कई अन्य प्रतिनिधि भी शामिल थे।

उद्घाटन सत्र के बाद आयोजित तकनिकी सत्र में करीब दो दर्जन विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किये तथा वृहद चर्चा के बाद पेयजल एवं स्वच्छता नीति के प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया।

******